न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :— अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 95/2012(पुराना मु0नं0 81/2001)

उनवान

1. गंगाधर पुत्र भोरी लाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बाडोलास, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर (मृतक)

1/1 श्रीमति शान्ति पत्नि गंगाधर जाति ब्राहमण

1/2 बृजमोहन पुत्र गंगाधर जाति ब्राहमण

1/3 श्रीमति कमली पुत्री गंगाधर जाति ब्राहमण

1/4 श्रीमति विमला पुत्री गंगाधर जाति ब्राहमण

1/5 श्रीमति किशकन्धा पुत्री गंगाधर जाति ब्राहमण

1/6 श्रीमति मनभर पुत्री गंगाधर जाति ब्राहमण

1/7 श्रीमति सोना पुत्री गंगाधर जाति ब्राहमण निवासीयान गाम बाडोलास, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

वादीगण

बनाम

1. भोरी लाल पुत्र लाल्या जाति मीना
2. हनुमान पुत्र भोरया
3. रामसिंह पुत्र पक्या
4. मीठया पुत्र रामलाल
5. रामस्वरूप पुत्र मोत्या
6. हंसा पुत्र हजारी
7. धनपाल पुत्र गोरया
8. रतन पुत्र गिरराज

(1 से 8) जाति मीना समस्त निवासीयान बाडोलास तह0 व जिला सवाई माधोपुर

9. तहसीलदार,सवाई माधोपुर

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते ख0नं0 648/956 रकबा 9 बीघा में से होकर नवीन रास्ता निकालने बाबत्!

अभिभाषक :— 1. श्री बालकृष्ण उपाध्य वकील वादी
2. श्री श्यामसुन्दर गुप्ता वकील प्रतिवादी

निर्णय दिनांकः— 16.11.2018

वादी द्वारा एक वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते ख0नं0 648/956 रकबा 9 बीघा में से होकर नवीन रास्ता निकालने बाबत् पेश किया है। दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 1. वादीग्राम बाडोलास का रहने वाला गरीब ब्राहामण है प्रार्थी की जाति का एक मात्र घर बाडोलास में है तथा मीना जाति के 300 घर है। जिनसे धर्म कर्म काण्ड सेवा पूजा कर प्रार्थी अपना जीवन गुजर करता है। 2. प्रतिवादीगण ग्राम बाडोलास के सरगना व्यक्ति है जो गिरोह बनाकर प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 648/956 रकबा 9 बीघा तथा आराजी ख0 नं0 644 रकबा 10 बिस्वा व ख0नं0 624/1 रकबा 2 बीघा को जबरदस्ती छीन कर प्रार्थी को गांव से निकालना चाहते है। इस कारण खसरा नम्बर 684/956 रकबा 9 बीघा में होकर एक रास्ता रिकालने का बहाना बना कर प्रार्थी से लडाई झगडा करते है प्रार्थी की भूमि के पास प्रतिवादीगण का न तो कोई रास्ता है न ही कोई जमीन है तथा नही प्रार्थी के खेत में होर कभी कोई रास्ता रहा है आराजी प्रार्थी खातेदारी कब्जे काश्त

PTO-2

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

की भूमि है जिसमें प्रतिवर्ष काश्त कर लगान सरकारी प्रार्थी अदा करता आ रहा है राजस्व रिकार्ड या नक्शा ट्रेस में कभी कोई रास्ता प्रार्थी के खेत में होकर नहीं रहा है परन्तु क्योंकि पतिवादीगण सरगना है प्रार्थी को परेशान कर गांव से भगाना चाहते है इस कारण दिनांक 3.9.2001 को जबरदस्ती प्रार्थी के खेत में होकर नया रास्ता निकालने लगे तो प्रार्थी ने मना किया मगर प्रतिवादीगण गाली गलोच कर आमादा मियाद हुवे बडी मुश्किल से गांव के समझदार लोगो ने प्रार्थी को बचाया तब प्रतिवादीगण ने एक राय होकर एक झूंठी प्रार्थना पत्र तहसीलदार सवाई माधोपुर के समक्ष पेश कर प्रार्थी के खेत में होकर रास्ता होने की की जिस पर तहसीलदार सवाई माधोपुर बिना प्रार्थी को सुने प्रार्थी के खेत की मेर तोड कर प्रार्थी के खेत में होकर नया रास्ता तहसीलदार सवाई माधोपुर के सहयोग से प्रतिवादीगण ने निकाल लिया तो प्रार्थी को असहाय हानी होगी प्रार्थी का आधा खेत खराब हो जायेगा जो प्रार्थी के साथ अन्याय होगा प्रार्थी इस बाबत दिनांक 07.9.2001 को तहसीलदार सवाई माधोपुर से मिला व प्रार्थी के साथ अन्याय नहीं करने तथा स्वयम् मौका देख कर आदेश देने की प्रार्थना की परन्तु तहसीलदार सवाई माधोपुर ने प्रार्थी को धमकी दी इस कारण अब प्रार्थी के पास श्रीमान् न्यायालय की शरण लेने के अलावा अन्य कोई रास्ता नही रहा है। 3. प्रार्थी खसर न0 648/956 रकबा 9 बीघा का खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि को उपयोग उपभोग करने व चारों और से सुरक्षित करने हेतु बाड आदि लगा कर उसमें किसी के अनाधिकृत प्रवेश को रोकने का पूर्ण अधिकारी है परन्तु प्रतिवादीगण जबरदस्ती प्रार्थी के खेत में अनाधिकृत प्रवेश करने व नया रास्ता बना कर प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने पर आमादा है। 4.यह कि बनाय दावा दिनांक 3.9.2001 को जबरदस्ती प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थी के खेत में घुसने के प्रयास करने पर वाद करण खिलाफ प्रतिवादीगण पैदा हुआ है। इस कारण वाद पत्र अधीन धरा 188,91 आर.टी.एक्ट निधारित न्याय शुल्क पर सक्षम अधिकारिता में अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है जो डिक्री होने योग्य है। 5.वादी का वाद पत्र निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें। (1) प्रतिवादीगणों को व उनके प्रतिनिधियों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये कि वो वादी के खातेदारी कब्जे काश्त में किसी प्रकार बाधा अवरोध न तो स्वयं उत्पन्न करे न ही दीगर से करवाये।

(2) तहसीलदार सवाई माधोपुर को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये कि वो वादी के खेत में होकर नवीन रास्ता नही निकलवाये तथा प्रार्थी को परेशान नहीं करे। (3) प्रतिवादी गण स्वयं व अन्य की सहायता से रास्ता के नाम पर किसी भाग से बेदखल करदे तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से वादी को दिलवाये। (4) खर्चा मुकदमा वादी प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।(5)अन्य दादरसी जो न्याय प्रद हो वादी को दिलवायी जावे। एवं वाद पत्र उपरोक्तानुसार डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 5 व 9 के विरूद्व दिनांक 26.9.2001 को एक पक्षीय कार्यवाही उनके उपस्थिस्थित नही होने के कारण अमल में लाई गई। **प्रतिवादी संख्या 1 ल0 4 एवं 6 लगायत 8 की ओर से जवाब दावा 28.8.2002 को पेश किया जो इस प्रकार है** कि दावे के मद नं0 1 में वादी का ब्राहम्मण जाति का होना व ग्राम बाडोलास का निवासी होना स्वीकार है शेष अस्वीकार है। 2. वादपत्र के मद नं0 2 के तथ्य वादी द्वारा बिलकुल मिथ्या व मनगढन्त वर्णित किये गये है जो अस्वीकार है खसरा नम्बर 648 में होकर प्रतिवादीगण एवं ग्राम वायिों के मवेशीयों को चराने एवं पानी पिलाने हेतु बनास नदी तक सदैव से आवगमन का रास्ता बना हुआ है, जिसमें होकर ग्रामवासी व प्रतिवादीगण अपने मवेशीयों को लाते ले जाते रहे हैं वादी नाजायज रूप से लटठ के बल पर इस कदीमी रास्ते को बन्द करना चाहता है। ओर इसी कुटनीति से वादी द्वारा यह मिथ्यादावा पेश किया गया है, इसके द्वारा रास्ते में मिटटी की डोल लगाकर रास्ते में अवरोध भी पैदा किया गया था, लेकिन तहसीलदारजी के आदेश से पटवारी व गिरदावर महोदय मौके पर जाकर रास्ता खुलासा कराके आये है।खुलासा विशेष विवरण में दर्ज है। वाद पत्र के मद नं0 3 लागायत 5 अस्वीकार होना अंकित करते हुये दावा वादी खारिज होने योग्य बताया है। जवाब दावे के विशेष विवरण निम्न प्रकार हः– 1. वादी द्वारा यह वाद पत्र बिलकुल मनगढन्त बनाया गया है। 2. यह कि खसरा नं0 648 काफी बडा रकबा है जिसमें कई काश्तकारों को भूमि का आवंटन हुआ है साथ ही इसमें 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि आज भी सिवायचक है इस खसरा नम्बर 648 में होकर इसकी पूर्व दिशा की सीमा के सहारे सहारे सदैव से मवेशीयों को चराने व पानी पिलाने के लिये

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

PTO-3

बनास नदी की ओर लजान का रास्ता बना हुआ है जिसमें होकर अप्रार्थीगण सहित ग्रामवासी अपने मवेशीयों को चराने व नदी में पानी पिलाने के लिये शुरू से ही लाते ले जाते रहे है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यह रास्ता इस खेत में होता हुआ आगे उत्तर की और जाता है प्रार्थी द्वारा इस रास्ते को बन्द करने की कोशिस की जाती है तथा मवेशीयों को इस रास्ते में होकर आने जाने में रूकावट पैदा करता है । प्रार्थी द्वारा इस रास्ते को मिटटी की डोल लकार रोक दिया था जिस कारण अप्रार्थीगण ग्रामवासियों द्वारा कलेक्टर साहब को रास्ता खुलासा कराये जाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जिन्होने तहसीलदार महोदय को जांच कर कार्यवाही करने के लिये आदेश दिया था, उनके आदेश से पटवारी हल्का गिरधावर हल्का द्वारा दिनांक 5.9.2001 को मौका देख था जिन्होने मौका देखकर इस प्रकार रास्ता वादी द्वारा रोक देने की रिर्पोट पेश की थी इसके पश्चात् तहसीलदार ने रास्ता खुलासा किये जाने के आदेश किये थे जिसकी पालना में पटवारी हल्का व गिरदावरजी द्वारा दिनांक 18.9.2001 को मौके पर जाकर वादी गंगाधर द्वारा लगाई गयी मिट्‌टी की डोल को हटाकर रास्ता खुलासा कराया था इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी जान बूझ कर लट्‌ठ के बल पर इस रास्ते में आवागमन को रोकता है। एवं अप्रार्थीगण को डराता धमकाता है कि यदि रास्ते में होकर अपनी मवेशीयों को लेकर जाओगे तो ठीक नहीं होगा में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा बनाकर फंसा दूंगा तथा प्रार्थी अपनी औरतो को रास्ते मे खडा कर देता है। जो मवेशीयों को आने जाने से रोकती है। 3. प्रतिवादीगण का इस रास्ते की उज्रदारी के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है यह रास्ता हमारे बाप – दादाओं के समय से गांव बसा जब से ही बनास नदी में मवेशीयों को लाने ले जाने का रहा है प्रतिवादीगण द्वारा नवीन रास्ता नहीं बनाया है। 4. इस खसरा नं0 648 में 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि आज भी मौके पर सिवायचक है जिस पर भी वादी गंगाधर कब्जा करना चाहता है और उसे अपने खेत में मिलाना चाहता है इस खसरा में अन्य व्यक्तियों को भी भूमि आवंटन हुई है जिसकी नक्शा शीट में अभी तरमीम भी नही हुई है इस कारण यह निश्चिय नही है कि गंगाधर का रकबा इस खसरा नम्बरो में कहा पर है वादी गंगाधर इस खसरा नम्बर में रास्ते की भूमि को भी मिलाना चाहता हैं जिसका उसको कानूनी कोई अधिकार नहीं है 5. यह है कि पटवारी व गिरदावर द्वारा रास्ता खुलवाने के बाद भी वादी गंगाधर द्वारा रास्ते में काटें की डाहरी लगाकर रास्ते को रोक देने पर दिनांक 21.9.18 को पुन प्रा0पत्र पेश किया जिस पर एसएचओ मलारना डूंगर को 'आवश्यक कार्यवाही करने हेतु श्रीमानजी द्वारा आदेश दिये लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई इस प्रकार वादी इस रास्ते को नाजायज रूप से बंद कर खेत मे मिला कर शेष सिवायचक भूमि को काश्त करना चाहता है। 6. प्रतिवादीगण मीठाा लाल एक पढने वाला छात्र है जो द्वितीय वर्ष की कक्षा में राज0महा0सवाई माधोपुर में पढता है जिसका केवल पढने का काम है न तो काश्त करता है न वह मवेशीयों को चराने व पानी पिलाने जाता है वादी द्वारा गलत रूप से इसमें पक्षकार बनाया गया है। उसका इस झगडे से कोई वास्ता नहीं है। दिनांक 3.9.2001 की घटना भी गलत दर्ज करवाई गयी है प्रतिवादी ने कोई नया रास्ता बनाने की कोशिस नहीं की बल्कि वादी द्वारा जबरदस्ती रास्ता रोका गया। 7. दिनांक 25.9.2001 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व 5 लगायत 8 इस रास्ते में होकर सुबह 10 बजे अपने मवेशीयों को लेकर बनास की तरफ जा रहे थे,तो वादी गंगाधर एवं उसके लडके व उसकी औरतो ने मिलकर रास्ते में आडे फिर गये व मवेशीयों को जाने नहीं दिया और रास्ते में कांटो के डाहरे डाल दिये और औरतो ने कहा कि यदि तुम यहां होकर निकलोगे और आना नहीं मानेगो तो तुम्हारे उपर इज्जत का केस बना देंगे प्रतिवादीगण बडी मुश्किल से हाथाजोडी कर डाहरीयों हटा कर निकले, फिर भी इन्होने यही कहा कि आईन्दा कभी इस रास्ते में होकर नहीं निकलनेगें। 8. इस प्रकार वादी द्वारा यह बिलकुल मिथ्या पेश किया गया है कदीमी रास्ते में होकर आवागमन को रोकने का वादी को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं वादी का यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा आधार हीन है व मेन्टेनेबल नहीं है। 9. वादी को कोई बिनाय दावा पैदा नहीं हुआ है बिनाय दावे के अभाव में भी यह दावा खारिज होने योग्य है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा जवाब दाव पेश कर निवेदन किया है कि वादी का यह वाद पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं वादी द्वारा बिलकुल मिथ्या दावा करने के कारण प्रतिवादीगण को परेशान करने से विशेष हर्जा खरर्चा वादी से प्रतिवादीगण को दिलाया जावे।

PTO-4

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

प्रकार कायम की गई:—

1 आया वादी वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 648/956 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम बाडोलास पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और नही दीगर से कराने के लिये प्रतिवादीगण व उनके प्रतिनीधियों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध कराने का अधिकारी है ? (वादी)

2 आया वादी की उक्त आराजीया में होकर नवीन रास्ता नही निकलवाने व प्रार्थी को परेशान नहीं करने के लिये तहसीलदार सवाई माधोपुर को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध कराने का अधिकारी है? (वादी)

3 आया आराजी खसरा नं0 648 काफी बडा रकबा है,जिसमें 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि आज भी सिवायचक है, जिसमें होकर बनास नदी की ओर जाने का रास्ता बना हुआ है? (प्रतिवादीगण)

4 आया आराजी खसरा नं0 648 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि आज भी सिवायचक को अपने खेत मे मिलाना चाहता है?(प्रतिवादीगण)

5 आया प्रतिवादी नं0 4 मीठाा लाल एक छात्र् इस रास्ते के झगडे से कोई वास्ता नहीं है? (प्रतिवादीगण)

6 आया वादी को कोई बिनाय दाव नही होने से वादी का दावा खारिज होने योग्य है?(प्रतिवादीगण)

साक्ष्य वादी में वादी गंगाधर पुत्र भौरी लाल पी0डब्लू–1 व कन्हैया पुत्र गोपीचन्द गूजर पी0डब्लू–2 का बयान शपथ पत्र दिनांक 01.9.06 को पेश हुआ जिस पर दिनांक 21.11.2006 को वादी का शपथ पत्र बयान लिया गया व वकील प्रतिवादी ने जिरह की वादि ने अपने दावे के समर्थन में दस्वोज प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत् 2044–47, प्रदर्श –2 खसरा गिरदावरी सम्बवत 2057 , प्रदर्श –3 जमाबन्दी सम्वत 2060–2063,प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी सम्बवत 2060–2061 तथा प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी सम्बवत 2061 प्रदर्श करवाये। प्रतिवादीगणो को कई अवशर दिये जाने पर साक्ष्य नही कराने के कारण दिनांक 12.06.2012 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

उक्त विवादित भूमि की तहसीलदार सवाई माधोपुर से वर्तमान मौके की स्थिति की रिपोर्ट उनके पत्र कमांक 1418 दिनांक 27.2.18 प्राप्त की गई। मुताबिक मौका रिपोर्ट वाद पत्र में अंकित ख0नं0 948/956 रकबा 9 बीघा जो कि पुराना खनं0 है इसके नये खसरा नं0 1338,1373,1361,1369/2258 बने है। ख0नं0 1373,1338 में मौके पर सरसो गेहूॅ व चने की फसल है जो बृजमोहन पुत्र जगन्नाथ दत्तक पुत्र गंगाधर जाति ब्राहमण निवासी बाडोलास का कब्जा काश्त है ख0न0 1337 रकबा 0.20 गै0मु0 रास्ता है जो ख0नं0 1338 के बगल मे है ख0नं0 1337 रकबा 0.20 है को भी ख0नं0 1338 मे मिला रखा है। मौके पर ख0नं0 1337 गै0मु0 रास्ता बंद कर रख है जो बृजमोहन द्वारा ही बंद किया है ख0नं0 1369/2258 रकबा 0.21 में मौके पर गैहू है जिस पर खातेदार का कब्जा नही है ख0नं0 1369/2258 में गेहॅ की फसल भीमसिंह पिता किसोर जाति मीना का कब्जा काश्त है तथा सुवालाल पुत्र हजारी का भी ख0नं0 1369/2258 में गेहूॅ की फसल काश्त की है अर्थात ख0नं0 1369/2258 रकबा 0.21को भीमसिंह,सुवालाल ने आधा–आधा काश्त कर रखा है तथ ख0नं0 1361 रकबा 0.07 में जगन पुत्र बजरंगा ने गेहूॅ की फसल काश्त कर रखी है मौके पर बृजमोहन पुत्र गंगाधर भी उपस्थित था।

उभय पक्षो की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य का पूर्ण रूप से अवलोकन किया तनकी के अनुसार निर्णय निम्नानुसार किया जा रहा है:–

तनकी नं0 1 आया वादी वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 648/956 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम बाडोलास पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे और नही दीगर से कराने के लिये प्रतिवादीगण व उनके प्रतिनीधियों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध कराने का अधिकारी है ? (वादी)

PTO-5

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

इस तनकी के सम्बन्ध मे वादी ने अपने स्वयं का बयान न्यायालय में कराया है जिसमे उसने स्वयं वादी जिसकी पुष्टि प्रदर्श 1 जमाबन्दी सम्वत् 2044–47, प्रदर्श –2 खसरा गिरदावरी सम्बवत 2057 , प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2060–2063,प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी सम्बवत 2060–2061 तथा प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी सम्बवत 2061 से होती है। प्रतिवादी ने अपने समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही कि इस तरह वादी की मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकी नं0 एक वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

तनकी नं0 2:– आया वादी की उक्त आराजीयात में होकर नवीन रास्ता नही निकलवाने व प्रार्थी को परेशान नहीं करने के लिये तहसीलदार सवाई माधोपुर को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध कराने का अधिकारी है? (वादी)

इस तनकी के समर्थन में वादी ने स्वयं के बयान व पी.डब्लू 2,3 एवं प्रदर्श 1जमाबन्दी सम्वत 2044–47 पेश की है जबकि प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से यह तनकी नं0 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 :– आया आराजी खसरा नं0 648 काफी बडा रकबा है,जिसमें 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि आज भी सिवायचक है, जिसमें होकर बनास नदी की ओर जाने का रास्ता बना हुआ है? (प्रतिवादीगण)

प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही कीये है किन्तु तहसीलदार की मौका रिपोट के अनुसार ख0न0 1337 रकबा 0.20 गै0मु0 रास्ता है जो ख0नं0 1338 के बगल मे है ख0नं0 1337 रकबा 0.20 है को भी ख0नं0 1338 मे मिला रखा है। मौके पर ख0नं0 1337 गै0मु0 रास्ता बंद कर रखा है जो वादी बृजमोहन द्वारा ही बंद किया है यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– आया आराजी खसरा नं0 648 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि आज भी सिवायचक को अपने खेत मे मिलाना चाहता है?(प्रतिवादीगण)

प्रतिवादी तनकी संख्या 4 के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही कीये है इसलिये यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं ।

तनकी संख्या 5 :– आया प्रतिवादी नं0 4 मीठाा लाल एक छात्र इस रास्ते के झगडे से कोई वास्ता नहीं है? (प्रतिवादीगण)

प्रतिवादी द्वारा तनकी संख्या 5 के सम्बन्ध में प्रतिवादी ने कोई ठोस दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही कीये अतः तनकी नं0 5 प्रतिवादी के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 6 :– आया वादी को कोई बिनाय दावा नही होने से वादी का दावा खारिज होने योग्य है?(प्रतिवादीगण)

प्रतिवादी तनकी संख्या 6 के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही कीये है इसलिये यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 1,2,4,5,6 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व एवं तनकी संख्या 3 को प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरूद्व निर्णित किये जाने से वादी का वाद स्वीकार होने योग्य पाया जाता है इसलिये वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

अतः दावा वादी स्वीकार कर डिकी किया जाता है एवं प्रतिवादीगणों को व उनके प्रतिनिधियों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 648/956 रकबा 9 बीघा (जिसके नवीन नम्बर जो भी बने हो)वाके ग्राम बाडोलास पर वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात में से रास्ता नही निकालने व किसी प्रकार बाधा अवरोध न तो स्वयं उत्पन्न करे न ही दीगर से करवाये। साथ ही तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि यदि वादी द्वारा भी आम रास्ते व गै0मु0 रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा हो तो उस अतिक्रमण को तत्काल हटवाकर आम रास्ते को खुलासा करावें। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो निर्णय आज दिनांक 16.11.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर (मु0)
सवाई माधोपुर